# फर्द अहकाम

न्यायालय
संख्या 43/2023

ओमकार बनाम सुरज्ञान

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
| --- | --- | --- | --- |
| | 6/3/24 | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में [illegible] हैं। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/5/24 को पेश हों। | |
| | 3/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं। अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि० 23/5/24 को पेश हो। <br> उपखण्ड अधिकारी <br> जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |
| | 23/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बहस प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111, 128 सुनी गई पत्रावली ~~[illegible]~~ में प्रार्थी की ओर से पेश प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर लंबित विवाद प्रकरण से निस्तारण जाकर खारिज किया है। पत्रावली फैसला शामिल [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। <br> उपखण्ड अधिकारी <br> जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :43 / 2023
निर्णय दिनांक : 23.05.2024

1. ओंकार पुत्र श्री छोटू जाति कुमावत उम्र 86 वर्ष निवासी थरपालों की ढाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सुरज्ञान पुत्र श्री छोटू
2. लाल चंद पुत्र श्री सूरजमल
3. कृष्ण कुमार पुत्र श्री सूरजमल
4. राजेंद्र पुत्र श्री सूरजमल समस्त जाति कुमावत निवासी थरपालों की डाणी गृहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. ओमप्रकाश पुत्र श्री सूरजमल जाति कुमावत निवासी 17 रामनगर झोटवाडा जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील सांगानेर पता तहसील कार्यालय सागानेर जयपुर ।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956**

## निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2035 / 1 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2036 रकबा 0.03 हेक्टेयर गै० मु० चा०, खसरा नंबर 2039 रकबा 0.44 हेक्टेयर चाही 2, खसरा नंबर 2040 रकबा 0.24 हेक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.72 हेक्टेयर वाक्य ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिस पर प्रार्थी बतौर काश्तकार का काबिज काश्त है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के पूर्व दिशा की ओर अप्रार्थीगण 01 ता 05 की खातेदारी भूमि खसरा नबर 2034 / 2 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नबर 2035 / 2 रकबा 0.01 हेक्टेयर खसरा नबर 2039 रकबा 0.44 हेक्टेयर एव खसरा नंबर 2040 / 1 रकबा 0.24 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2037 / 1 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2037 / 1 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नबर 2037 / 2 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2034 / 3 रकबा 0.09 हेक्टेयर खसरा नबर 2035 / 4 रकबा 0.03 हेक्टेयर खसरा नबर 2037 / 3 रकबा 0.04 हेक्टेयर खसरा नंबर 2037 / 4 रकबा 0.03 खसरा नबर 2037 रकबा 0.17 हेक्टेयर खसरा नंबर 2034 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2035 रकबा 0.02 हेक्टेयर खसरा नंबर 2037/5 रकबा 0.04 हेक्टेयर स्थित है इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 ता 05 दोनों पक्षो की खातेदारी कृषि भूमि एक–दूसरे के लगवा स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 लडाकू एव झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जो आए दिन प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

2035/1, 2036, 2039 व 2040 की बुवाई जुताई में व्यवधान करते रहते हैं और प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2035/1, 2036, 2039 व 2040 को नाजायज तरीके से हड़पने के प्रयास करते रहते है जिसके कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि को सही प्रकार से देखभाल करने एवं उसका उपयोग उपभोग करने मे असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2035/1, 2036, 2039 व 2040 के सीमा ज्ञान हेतु अप्रार्थी संख्या 06 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 06 के आदेश दिनांक 5 मई 2023 की पालना मे अप्रार्थी संख्या 06 के राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2035/1, 2036, 2039 व 2040 का दिनांक 17 मई 2023 को सीमा ज्ञान किया जा चुका है जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 को भलीभांति है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2035/1, 2036, 2039 व 2040 के सीमा ज्ञानहो जाने के उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 प्रार्थी कि उपरोक्त खातेदारी भूमि को नाजायज हड़पने की चेष्टा कर रहे हैं और अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 द्वारा दिनांक 15-05-2023 को प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2035/1, 2036, 2039 व 2040 की पत्थरगढी करवाने से इनकार कर दिया इसलिए प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2035/1, 2036, 2039 व 2040 के चारों ओर पुख्ता बाउंड्रीवॉल का निर्माण करवाकर अपनी काश्त की भूमि को उन्नत करने तथा पशुओं इत्यादि से सुरक्षा करना चाहता है इस कारण प्रार्थी को अपनी भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हुआ है ताकि भविष्य में पडोसी काश्तकारों से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो।

अतः यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 2035/1 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नबर 2036 रकबा 0.03 हेक्टेयर गै० मु० चा०, खसरा नंबर 2039 रकबा 0.44 हेक्टेयर चाही2, खसरा नंबर 2040 रकबा 0.24 हेक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.72 हेक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढी जरिए पुलिस इमदाद किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण ... रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से ... प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली में वहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सागानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा प्रार्थी की ग्राम सागानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बर 2039 रकबा 0.44 हैक्टेयर चाही 2 एव खसरा नम्बर 2040 रकबा 0.24 हैक्टैयर की अवाप्ति नही है तो उक्त खसरा नम्बरान् 2039, 2040 की पत्थरगढी समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनाक 17.05.2023 के अनुसार की जावें। दौराने पत्थरगढी काननू व्यवस्था को ध्यान रखा जावे तथा खसरान नम्बरान 2035/1 एव 2036 कि पत्थरगढी करने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( हिम्मत सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर, जयपुर (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested